

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2005 (Omission of Article 44, etc.).

15.34 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Omission of Article 44, etc.)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

योगी आदित्यनाथ : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।
